

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:राजपत्रित/डीपीसी/2016/25

दिनांक: 08.01.2016

आदेश

राज्य के समस्त सेवारत रेडियोलोजिस्ट (पीजी डिग्री/डिप्लोमाधारी) चिकित्सकों को अस्पताल समय के अतिरिक्त निजी प्रेक्टिस (सोनोग्राफी/सी.टी. स्कैन/एम.आर.आई. एवं रेडियोलोजी से सम्बन्धित अन्य कार्य) हेतु निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन अनुमति प्रदान की जाती है :-

1. सभी रेडियोलोजिस्ट प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से पूर्व निजी प्रेक्टिस करने हेतु विकल्प का शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे।
2. चिकित्सक (रेडियोलोजिस्ट) को निजी प्रेक्टिस का विकल्प चुनने पर नियमानुसार एनपीए/एनसीए देय नहीं होगा।
3. चिकित्सक (रेडियोलोजिस्ट) द्वारा दिन-प्रतिदिन के राजकीय कार्य को निष्ठापूर्वक सम्पन्न करने का उत्तरदायित्व निर्वहन करना होगा, अन्यथा आदेशों की अवहेलना समझी जावेगी, जिसके फलस्वरूप नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. चिकित्सक (रेडियोलोजिस्ट) द्वारा निजी प्रेक्टिस करने पर पी.सी.पी.एन.डी.टी. नियम, 1996 एवं समय समय पर संशोधित नियमों की पूर्ण पालना करनी आवश्यक होगी।
5. वित्त विभाग द्वारा एनपीए/एनसीए के सम्बन्ध में समय समय पर जारी आदेशों की पालना सुनिश्चित की जायेगी, जिनकी अवहेलना पर नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।
दिनांक: 08.01.2016

क्रमांक:राजपत्रित/डीपीसी/2016/25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. राज्य समुचित प्राधिकारी, पीसीपीएनडीटी सेल, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक (आरसीएच), मुख्यालय।
5. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
6. समस्त सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-राजस्थान
7. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
8. सम्बन्धित चिकित्सकों (रेडियोलोजिस्ट) को सूचनार्थ।
9. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय।
10. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,

